कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) पद पर संबंधित विषय हेतु आदेश क्रमांक–शिविरा–माध्य /संस्था/सी–ओए/6004/चयन/2018–19 दिनांक–8.09.18 के द्वारा विभिन्न चयन वर्षो हेतु आयोजित पुनरावलोकन रिव्यू बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर अंकित विवरणानुसार चयन किये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) **समाजशास्त्र** के पद वेतन लेवल 12 में पदोन्नति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी /प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नही कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल commsecedu@yahoo.com से तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थनापत्र दिनांक /09/2018 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक– **21** /09/2018 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगें। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक–**22**/09/2018 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवें की जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदौन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नही हुई हो। अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक– शिविरा/मा/संस्था/सी–5/ **समाजशास्त्र** /रिव्यू डीपीसी–डीपीसी/2018–19/2018 दिनांक– 11-09-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत्

01 शासन सचिव–शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
02 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
05 समस्त शिक्षा उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) ..... को सूचनार्थ ।
06 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक)/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होगें।
07 अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
08 संबधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान
09 सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक– शिविरा / मा / संस्था / सी–5 / समाजशास्त्र / रिव्यू डीपीसी–डीपीसी / 2018–19 / 2018

दिनांक 11-09-2018

क्रसं	स्थाई वरिष्ठता	वरिष्ठता अवधि	वर्ग	चयन वर्ष	नाम लोक सेवक	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापनस्थान (रामावि / राउप्रावि / राउमावि / राबाउमावि)	पदस्थापनस्थान (राउमावि / राबाउमावि)	जिला
1	1648	1996-1997	sc	2018-19	नानालाल मेघवाल वअ.	01-02-1962	केवड़ाखुर्द उदयपुर	G. SR. SEC.S.DEVAS (08260706304)	UDAIPUR

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर